



76

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

R - 3559 - II/13

- 1- रामस्वरूप पिता सूरजलाल साहू
निवासी- 12, पंचवटी नगर, एरोडम रोड इंदौर
- 2- चंदा पिता जगन्नाथ साहू
निवासी- ग्राम खुरई जिला सागर (मध्यप्रदेश)
- 3- श्रीमती मनीषा जैन (बडकुल) पति राजे राजी बडकुल
निवासी- 307, सृष्टि अपार्टमेंट, टोरी कार्नर, मल्हारगंज इंदौर

विरुद्ध

- 1- म०प्र० शासन तर्फे कलेक्टर जिला इंदौर
- 2- तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर

— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला इंदौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 42/अ-74/12-13 में दिनांक 24/07/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित कारणों से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

[Handwritten signature]

Handwritten notes:
कॉन्ट्रिब्यूशन - 2013
श्रीमान् को जिला इंदौर
जिला सागर
दि 12-9-13
यतः
12-9-13



Handwritten notes:
कॉन्ट्रिब्यूशन
16-9-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3559-दो/13

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री विक्रान्त होल्कर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक को सूचना दिया जाये ।</p> <p> सू.उ.र.</p>	<p> अध्यक्ष</p>